न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– मनोज (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 21/2009 (गत मु.न.189/2000, 119/2007)

(RCMS No. 2009/00005)

वादी

1. माधुराम पुत्र स्व. छोगाराम जाति मेघंवशी निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
2. बल्लाराम पुत्र स्व. छोगाराम जाति मेघंवशी निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
3. बीरदाराम पुत्र स्व. छोगाराम जाति मेघंवशी निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
4. रामदेव पुत्र स्व. छोगाराम जाति मेघंवशी निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सूजाराम पुत्र स्व. कुम्भाराम
2. सोनीदेवी पत्नि स्व. कुम्भाराम
3. मोहन पुत्र स्व. कुम्भाराम
4. लिछमण पुत्र स्व. कुम्भाराम
5. पूसा पुत्र स्व. कुम्भाराम जाति मेघवंशी निवासी कड़वा का बासंड़ा, कुचामनसिटी
6. काना पुत्र भूरा जाति मेघवंशी निवासी पनवाड़ी तहसील कुचामनसिटी
7. भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी
8. उप पंजियक पंजीयक एवं मुद्रांक कुचामनसिटी

वाद बाबत अधिकारो की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
श्री हरिराम गुर्जर अधिवक्ता 1 से 5 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 06/09/2023

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है जोधाराम एवं छोटुराम बलाई की ग्राम पनवाड़ी पटवार हल्का रूपपुरा–टोरडा में स्थित कृषि भूमिया जिनके वर्तमान खसरा नम्बर 28, 32, 33, 35, 68, 69 रकबा 4.89 हैक्टर संयुक्त अविभाजित खातेदारी एवं कब्जासुदा आई हुई है एवं खसरा नम्बर 34 रकबा 0.32 हैक्टर में जोधाराम एवं कुम्भाराम की 2/3 हिस्से की कानाराम 1/3 हिस्से के साथ संयुक्त अविभाजित खातेदारी सुदा आई हुई थी तथा मौजा पनवाड़ी में ही स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 142 रकबा 0.52 हैक्टर जोधाराम की एकल खातेदारी में आयी हुई है, जोधाराम एवं कुम्भाराम का स्वर्गवास हो चुका है इनकी वंशावली निम्नवत है :–

छोटूराम (फौत)

जोधाराम (निर्वसीयती फौत) — कुम्भाराम

(जोधाराम) → गंगली उर्फ गंगादेवी पुत्री (फौत)

(कुम्भाराम) → सोनीदेवी, सुजाराम, मोहन, लिछमण, पूसा, पांचीदेवी, पहपा, सु[illegible], परमेश्वरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

जोधाराम पुत्र छोटूराम बलाई के एक मात्र सन्तान पुत्री श्रीमति गंगली उर्फ गंगादेवी ही थी जिसका विवाह श्री छोगाराम निवासी सरगोठ के साथ हुआ और इनके सत्संर्ग से वादीगण जीवित पुत्र सन्तान हुए, जोधाराम ने किसी पुरूष को दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण नही किया गया था, चूँकि जोधाराम अपने जीवन के अन्तिम 10 वर्ष अपनी एक मात्र सन्तान (पुत्री) श्रीमति गंगलीदेवी के पास ही ग्राम सरगोठ मे ही व्यतीत किय, श्रीमति गंगली उर्फ गंगादेवी और वादीगण ने अपने इनकी सेवा सुश्रषा की जोधाराम जी 95 वर्ष की अवस्था में वृद्वावस्था से आई अंग शैथिलता एवं बीमारी की वजह से शाररिक रूप से कृषकाय हो जाने से मृत्यु पर्यन्त ग्राम सरगोठ में अपनी एक–मात्र पुत्री के घर के अन्दर ही रहे चलने फिरने की हालत नही होने से वे सरगोठ में पुत्री के घर पर मृत्युशैया पर लेटे रहने से बाहर निकल नही पाते थे और अन्त में श्री जोधारामजी का निर्वसयती स्वर्गवास दिनॉक 15 मई 1980 को ग्राम सरगोठ में ही हो गया। जोधाराम जी पुत्र छोटूराम बलाई का निवर्सीयती स्वर्गवास दिनॉक 15.05.1980 को हो जाने के बाद मौजा ग्राम पनवाड़ी में स्थित संयुक्त खातेदारी एवं कब्जासुदा अविभाजित कृषि भूमियॉ जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 28, 32, 33, 35, 36, 68 एवं 69 कुल खसरा 7 एवं रकबा 4.89 हैक्टर इस भूमि में पांचीदेवी, पहपादेवी, सुन्दर एवं परमेश्वरी ने अपने हिस्से का हक त्याग प्रतिवादी सं. 1 से 5 के पक्ष में हक त्याग कर दिया व खसरा नम्बर 34 रकबा 0.32 हैक्टर एवं कुम्भाराम की संयुक्त रूप से 2/3 हिस्से की कानाराम 1/3 हिस्से के साथ संयुक्त अविभाजित खातेदारी सुदा आयी हुई है, इस भूमि में भी पांचीदेवी, पहपादेवी, सुन्दर एवं परमेश्वरी ने अपने हिस्से का हक त्याग प्रतिवादी सं. 1 से 5 के पक्ष में कर दिया तथा मौजा ग्राम पनवाड़ी में ही स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 142 रकबा 0.52 हैक्टर में स्वर्गीय श्री जोधाराम के हक हिस्से की खातेदारी काश्त की भूमि वादीगण की माताजी श्रीमति गंगली उर्फ गंगादेवी अपने पिता जोधाराम की एकमात्र सन्तान होने के कारण पिताजी की खातेदारी में आयी, समस्त कृषि भूमिया हिन्दू विधि के तहत By Operation of law खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये, श्रीमति गंगली उर्फ गंगादेवी अपने परिवार सहित कड़वा का बांसड़ा कुचामनसिटी में आ गई, श्रीमति गंगली उर्फ गंगादेवी अनुसूचित जाति की अनपढ़ महिला होने से अज्ञानता एवं लाचारी के चलते स्वर्गीय पिता श्री जोधाराम के स्थान पर राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण की कार्यवाही कर रेकर्ड में अमल दरामद नही करवा सकी और वादीगण की माताजी गंगली उर्फ गंगादेवी का दिनॉक 29.03.1986 को कड़वा का बास कुचामनसिटी में मृत्यु भी हो गयी है, श्रीमति गंगली उर्फ गंगादेवी के इन्तकाल के बाद हिन्दू विधि के अनुसार माता के निर्वसीयत मृत्यु होने पर उनकी सन्तान की हैसियत से वादीगण माता एवं माताजी के पिता द्वारा छोड़ी गई पैतृक सम्पतियो के वैध वारिस हो गये, स्वर्गीय गंगली उर्फ गंगादेवी के पूर्वज एवं वंशजो का सजरा खानदान निम्नवत है :–

श्री जोधाराम पुत्र छोटूराम (पिता) फौत

↓

श्रीमति गंगली उर्फ गंगादेवी (पुत्री) फौत

↓

माधूराम (पुत्र)	बल्लाराम (पुत्र)	रामदेव (पुत्र)	बिरदाराम (पुत्र)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

इस प्रकार वादीगण स्व. श्र जोधाराम की पुत्री गंगा के पुत्रो की हैसियत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रथम अनुसूचि के जायद दायद होने से अपने सगे नानाजी की खातेदारी की कृषि भूमियों में बहिस्सा बराबर कानूनी वारिस है, प्रतिवादी सं. 1 अपने समर्थको की सहायता से झूंठे शपथ–पत्रो की सहायता से पूर्वरचित अपनी आपाराधिक साजिस के तहत मिथ्या साक्ष्य गढ़कर के बाले–बाले नामान्तरकरण कार्यालय अतिरिक्त तहसीलदार कुचामनसिटी के समक्ष प्रतिवादी सं. 1 ने आवेदन कपटपूर्वक स्वर्गीय जोधाराम के नाम से बेईमानी से नाजायज अभि साक्षीयो के हस्ताक्षर एवं अंगूठे निशान लेकर अवैध रूप से वसीयतनामा दिनॉक 01.051980 अंकित कर तैयार कर लिया एवं बिना प्रोबेट प्राप्त किये राजस्व अधिकारी तहसीलदार कुचामनसिटी से उपरोक्त पेरा सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि को हड़पने के उद्देश्य से स्वयं को बेईमानी से फायदा पहुंचाने एवं वादीगणो को बेईमानीपूर्वक क्षति पहुंचाकर इन कृषि भूमियों को हड़प कर लेने की कार्यवाही को अंतिम रूप देते हुए प्रतिवादी सं. 1 की साजिस के तहत रचित कुटरचित वसीयत के आधार पर उत्तराधिकार जैसे मसले पर विधि एवं तथ्यो के विपरीत जाकर गलत एवं गैरकानूनी तरीके से गलत इत्तला देकर स्वयं को स्वर्गीय श्री जोधाराम का उत्तराधिकारी बताते हुए म्युटेशन आदेश दिनॉक 183 दिनॉक 28.06.2006 जरिये मु.सं. 01 / 2006 दिनॉक के आदेश पारित करवा लिये जो **Forged** है व मूलभूत रूप से ही गलत होने से Void-ab-in ------- घोषित किया जाने योग्य होने से निरस्तनीय है, स्वर्गीय जोधाराम की मृत्यु के बाद कुचामनसिटी एवं ग्राम पनवाड़ी में स्थित पैरा सं. 1 में बताये गये खसरा नम्बरान की उनकी एकमात्र जीवित पुत्री श्रीमति गंगली उर्फ गंगादेवी हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 की अनुसूची संख्या एक के तहत पुत्री सन्तान होने से पिता के खातेदारी की कृषि भूमियों में कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की वैध उत्तराधिकारी हो गयी एवं गंगली उर्फ गंगादेवी के स्वर्गवास 29.03.1988 के बाद वादीगण जन्म से बहिस्सा बराबर–बराबर की माताजी की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के वैध दायद है। बिनाय दावा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण दिनॉक 24.02.2007 को नामान्तरकरण की प्रतिलिपि अतिरिक्त तहसील कुचामनसिटी से प्राप्त करने पर इसकी जानकारी होने एवं इन भूमियों का प्रतिवादी संख्या 1 अन्यत्र बेचान अनजान व्यक्ति को करने की दिनॉक 13.06.2007 को धमकी देने के परिणामस्वरूप वाद कारण बमुकाम कुचामनसिटी में उत्पन्न हुआ, वादीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम पनवाड़ी पटवार हल्का रूपपुरा टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी में स्थित कृषि भूमि जिनके वर्तमान खसरा नम्बर (अ) खसरा नम्बर 28, 32, 33, 35, 36, 68 व 69 कुल रकबा 4.89 हैक्टर (ब) खसरा नम्बर 34 रकबा 0.32 हैक्टर (स) खसरा नम्बर 142 रकबा 0.52 हैक्टर आई हुई है, प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज नामान्तरकरण प्रविष्टि 183 दिनॉक 26.08.2006 को अवैध घोषित फरमाया जाकर निरस्त किया जावे तथा भू–अभिलेख में संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान कर स्वर्गीय जोधाराम की मृत्यु के बाद इनकी एकमात्र पुत्री सन्तान के पुत्र वादी सं. 1 से 4 का 1 / 4 - 1 / 4 हिस्सानुसार खातेदारी अधिकार की घोषणा की जावे एवं राजस्व अभिलेख में संशोधन कर वादीगण के पक्ष में पैरा नम्बर 6 में वर्णित सजरा खानदान में उल्लेखानुसार रिकॉर्ड में अमल दरामदगी घोषणा फरमाई जावे। उपरोक्त आराजियात का कब्जा वादीगण को दिलाया जावे, प्रतिवादी सं. 8 को जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

शास्वत निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उक्त आराजियात से सम्बन्धित किसी भी प्रकार से अन्तरण किये जाने बाबत प्रस्तुत दस्तावेज का पंजीयन नही करे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री हरीराम गुर्जर उपस्थित आये। जिनको जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया, तत्पश्चात दिनॉक 22.07.2010 को प्रतिवादी सं.1 से 5 के अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, प्रतिवादी सं. 6 से 8 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण की ओर से जोधा पुत्र छोटू मेघवाल के मृत्यु प्रमाण–पत्र की छाया प्रति, जमाबंदी नकल सम्वत 2060–2060 ग्राम पनवाड़ी के खाता सं. 32, 33, 34 की प्रस्तुत की, नामान्तरकरण सं. 183 की छाय प्रति, मतदाता सूची 2004 भाग सं. 78 के क्र. सं. 547 से 588 की छाया प्रति, बक्शीशनामा रजिस्टर्ड 06.07.1974 की मूल प्रति प्रस्तुत की। मौखिक साक्ष्य में रामदेव पुत्र छोगाराम मेघवंशी कुचामन का मुख्य परीक्षण बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। चालू खतौनी सम्वत 2076–79 ग्राम पनवाड़ी के खाता सं. 190 की जमाबंदी ऑनलाईन की नकल प्रस्तुत हुई।

वकील वादी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस दौरान वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2060–2063 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 142 रकबा 0.52 हैक्टर बारानी द्वितीय में जोधाराम पुत्र छोटूराम मेघवंशी सा. कुचामन (कड़वा का बासंड़ा) खातेदार अंकित है तथा नामा. सं. 183 दिनॉक 26.08.2006 वसीयत आदेश के द्वारा जोधाराम पुत्र छोटूराम के फौत होने पर उसके स्थान पर सुजाराम पुत्र कुम्भाराम कौम मेघवंशी सा. कुचामनसिटी कड़वा का बांसड़ा के नाम खातेदारी स्वीकार हुई है। जमाबंदी नकल सम्वत 2060–2063 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 28, 32, 33, 35, 36, 68, 69 कुल रकबा 4.89 हैक्टर में नामा. सं. 165 दिनॉक 20.01.06 के द्वारा कुम्भाराम पुत्र छोटूराम के फौत होने पर उसके स्थान पर सोनीदेवी बेवा कुम्भाराम सोहनलाल सुजाराम लिछमणराम पुसाराम पि. कुम्भाराम पांचीदेवी पहपादेवी सुन्दरदेवी परमेश्वरी देवी पुत्रिया कुम्भाराम जाति मेघवंशी हि 1/2 के नाम खातेदारी स्वीकार हुई, शेष खाता बदस्तूर रहा। नामा. सं. 183 दिनॉक 26.8.06 वसीयत आदेश के द्वारा जोधाराम पुत्र छोटूराम के फौत होने पर उसके स्थान पर सुजाराम पुत्र कुम्भाराम कौम मेघवंशी सा. कुचामन कड़वा का बांसड़ा हि. 1/2 की खातेदारी स्वीकार हुई, शेष खाता बदस्तूर रहा। नामा. सं. 212 दिन. 20.12.06 के द्वारा पांचीदेवी पहपादेवी सुन्दरदेवी परमेश्वरी देवी पुत्रिया कुम्भाराम द्वारा सम्पूर्ण हक हिस्से का हक त्याग करने पर उनके स्थान पर सोनीदेवी बेवा कुम्भाराम मोहनलाल सुजाराम लिछमण[illegible] हि.ब. की खातेदारी स्वीकार हुई शेष खाता बदस्तूर रहा। नकल खतौनी [illegible]–2063 ग्राम पनवाड़ी के खाता सं. 33 खसरा नम्बर 34 रकबा [illegible] कुम्भाराम पि. छोटूराम हि. 2/3 कानाराम पुत्र भुराराम कौम [illegible]/3 सा. कुचामन (कड़वा का बांसड़ा) खातेदार दर्ज है, नामा. सं. 165 दिनॉक 20.01.[illegible] के द्वारा कुम्भाराम पुत्र छोटूराम के फौत

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:49 IST
Reason: SelfAttested

होने पर उसके स्थान पर सोनीदेवी बेवा कुम्भाराम सोहनलाल सुजाराम लिछमणराम पुसाराम पि. कुम्भाराम पांचीदेवी पहपादेवी सुन्दरदेवी परमेश्वरी देवी पुत्रिया कुम्भाराम जाति मेघवंशी हि 1/3 के नाम खातेदारी स्वीकार हुई शेष खाता बदस्तूर रहा। नामा. सं. 183 दिनॉक 26.8.06 वसीयत आदेश के द्वारा जोंधाराम पुत्र छोटूराम के फौत होने पर उसके स्थान पर सुजाराम पुत्र कुम्भाराम कौम मेघवंशी सा. कुचामन कड़वा का बांसड़ा हि. 1/3 की खातेदारी स्वीकार हुई शेष खाता बदस्तूर रहा। नामा. सं. 212 दिनॉक 20.12.06 के द्वारा पांचीदेवी पहपादेवी सुन्दरदेवी परमेश्वरी देवी पुत्रिया कुम्भाराम द्वारा सम्पूर्ण हक हिस्से का हक त्याग करने पर उनके स्थान पर सोनीदेवी बेवा कुम्भाराम मोहनलाल सुजाराम लिछमणराम पुसाराम पि. कुम्भाराम ब.हि.ब. की खातेदारी स्वीकार हुई शेष खाता बदस्तूर रहा। नामान्तरकरण सं. 183 ग्राम पनवाड़ी स्वीकृत दिनॉक 26.08.2006 अनुसार खसरा नम्बर 32, 33, 28, 32, 33, 35, 36, 68, 69 में जोधाराम पुत्र छोटूराम के स्थान पर सूजाराम पुत्र कुम्भाराम मेघवंशी के नाम वसीयत आदेश अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। मतदाता सूचि 2004 भाग संख्या 78 में क्रम सं.574 पर सुजाराम पुत्र कुम्भाराम पुरूष 49 वर्ष दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी नकल सम्वत 2076–79 ग्राम पनवाड़ी के खाता सं. 190 खसरा नम्बर 28, 32, 33, 35, 36, 68, 69, 142 नगरपालिका हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए दर्ज हो चुकी है। सम्वत 2076–2079 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 34 रकबा 0.32 हैक्टर गै.मु.नाला कानाराम पुत्र भुराराम हिस्सा 1/3 मेघवंशी कड़वा का बांसड़ा कुचामनसिटी खातेदार मुकेश कुमार पुत्र महावीरप्रसाद सांखला हिस्सा 2/3 जाति धोबी सा. दूजोद सीकर खातेदार दर्ज है। रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनॉक 06.07.1974 में ग्राम कुचामन के गत खसरा नम्बर 203, 204 कुल रकबा 18 बीघा 7 बिस्वा नानूड़ा पुत्र डूंगाराम बलाई मारोठ एवं जोधाराम पुत्र छोटुराम बलाई सा. कड़वा का बांसड़ा कुचामनसिटी ने अपनी पुत्रियों गंगली पत्नि छोगाराम बलाई सरगोठ एवं रामूड़ी पत्नि कानारा बलाई सरगोठ को बक्शीश की गई है। उपरोक्त भूमि ग्राम पनवाड़ी का बक्शीशनामा में कही पर भी अंकन नही है।

नामान्तरकरण सं. 183 में अंकित प्रविष्टि अनुसार जोधाराम पुत्र छोटूराम मेघवंशी के की मृत्यु होने पर वसीयत आदेश दिनॉक 11.07.2006 के अनुसार उनके पत्रांक/भू.अ./06/738–739 दिनॉक 27.07.06 की अनुपालना में नामान्तरकरण भरा गया तत्पश्चात निरीक्षक भू.अ.निरीक्षक कुचामन की रिपोर्ट 05.08.2006 एवं तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण दिनॉक 26.08.2006 को हुआ, जिसके अनुसार सूजाराम पुत्र कुम्भाराम मेघवंशी सा. कुचामनसिटी के उपरोक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि दर्ज हुई। तत्पश्चात ऑन लॉईन जमाबंदी सम्वत 2064–2067 ग्राम पनवाड़ी के 28, 32, 33, 35, 36, 68, 69 में सुजाराम पुत्र कुम्भाराम सोनीदेवी बेवा कुम्भाराम मोहनलाल लिछमणराम पुसाराम पि. कुम्भाराम जाति मेघवंशी सा. कुचामनसिटी (कड़वा का बांसड़ा) खातेदार प्रविष्टि अंकित है। उपरोक्त सुजाराम वगैरह द्वारा उपरोक्त भूमि खसरा 28, 32, 33, 35, 36, 68, 69 का बेचान करने पर मुकेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद सांखला धोबी सा. दूजोद तह. जिला सीकर 7/10 हिस्सा [illegible] पुत्र बंशीलाल जाति ढ़ोली सा. कुचामनसिटी हि.3/10 खातेदार दर्ज हुये, तत्पश्चात उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के तहत नगरपालिका

Signature Not Verified
Digitally signed by: Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

कुचामनसिटी के नाम दर्ज हो चुकी है तथा खसरा नम्बर 34, 142, की भूमि आज दिन कानाराम पुत्र भूराराम हिस्सा 1/3 जाति मेघवंशी सा. कड़वा का बांसड़ा कुचामनसिटी मुकेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद सांखला हिस्सा 2/3 जाति धाबी सा. दूजोद सीकर खातेदार दर्ज है। उपरोक्त भूमि के खातेदारी प्रतिवादीगण आज दिन नही रहे है। प्रश्नगत भूमि धारा 90 बी के तहत दर्ज होने से प्रतिवादी एवं संबंधित खातेदारो के खातेदारी अधिकार पर्यवसान होकर नगरपालिका के पक्ष में पुनग्रहित हो चुकी है। संबंधित वादीगण को उपरोक्त नामान्तरकरण सं. 183 स्वीकृत दिनॉक 26.08.2006 की अपील समक्ष न्यायालय में कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार वाद वादीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया गया।

निर्णय आज दिनॉक 06/09/2023 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनोज, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:49 IST
Reason: SelfAttested

7 वाद सं. 21/2009 माधूराम बनाम सूजाराम वगैरह

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **मनोज, (R.A.S.)**

राजस्व वाद संख्या :– 21/2009 (गत मु.न.189/2000, 119/2007) **(RCMS No. 2009/00005)**

वादीगण

1. माधुराम पुत्र स्व. छोगाराम जाति मेघंवशी निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
2. बल्लाराम पुत्र स्व. छोगाराम जाति मेघंवशी निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
3. बीरदाराम पुत्र स्व. छोगाराम जाति मेघंवशी निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
4. रामदेव पुत्र स्व. छोगाराम जाति मेघंवशी निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सूजाराम पुत्र स्व. कुम्भाराम
2. सोनीदेवी पत्नि स्व. कुम्भाराम
3. मोहन पुत्र स्व. कुम्भाराम
4. लिछमण पुत्र स्व. कुम्भाराम
5. पूसा पुत्र स्व. कुम्भाराम जाति मेघवंशी निवासी कड़वा का बासंड़ा, कुचामनसिटी
6. काना पुत्र भूरा जाति मेघवंशी निवासी पनवाड़ी तहसील कुचामनसिटी
7. भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी
8. उप पंजियक पंजीयक एवं मुद्रांक कुचामनसिटी

वाद बाबत अधिकारो की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता वादीगण की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद वादीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया गया।**

निज .... मुबलिग .... बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 06 माह 09 सन् 2023 को जारी की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुत[illegible]		
मुतफरिक			[illegible]		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो [illegible] ये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:49 IST
Reason: SelfAttested